न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 35 / 2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. मुकेश पुत्र गोरधनदास जाति खत्री निवासी कुआ नंबर 3 गेहू रोड बाड़मेर (मैसर्स खत्री किराणा स्टोर गेहू रोड बाड़मेर का मालिक)
2. कैलाश कुमार प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स कैलाश सेल्स कॉर्पोरेशन, प्लॉट नंबर 01 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बाड़मेर
3. सुखाडिया भुपतभाई नारायण भाई शॉप नंबर 07 सत्यम शिवम सुन्दरम अपार्टमेंट राजहंस टॉवर के पीछे, मुख्य रोड मोटा, वर्चा, सूरत प्रोप्राईटर ऑफ मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, सरथना झकतनाका, वर्चा रोड, सूरत

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सवाईसिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स खत्री किराणा स्टोर गेहू रोड बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **26.10.2021** को खाद्य पदार्थ **घी वास्तु (200 एमएल)** जो अलग–अलग पैकिंग में भरा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 200–200 एमएल के चार पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1441** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी वास्तु (200 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी वास्तु (200 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/ऐतराज प्रकट नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थ के सैम्पल लेने के लिए विधिक रूप से योग्यता धारक नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाहों के अभाव में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की कार्यवाही की गई है। मानक प्रयोगशाला के फूड एनालिस्ट द्वारा स्टेण्डर्ड फूड सेफ्टी एक्ट से भिन्न जाकर वादग्रस्त नमूने को वनस्पति घी होना मानते हुए रिजल्ट तैयार किया गया है जो कि गलत एवं नैसर्गिक नयाय के सिद्धान्तों के विपरी है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.12.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Reichert value** का मानक स्तर न्यूनतम **24.0** के मुकाबले **23.16** एवं **Test for presence of foreign fat** का मानक स्तर **shall be absent** के मुकाबले **present/positive** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने कथित किया है जबकि खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 20000/–**, अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 100000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 3 पर **रूपये 300000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर